मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवान)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :–उमा मित्तल आर ए एस

राजस्व वाद संख्या :– 32 / 2014

इन्द्रसेन पि.मु. रणजीत कौम जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

वादी

ब ना म

1. रणजीतराम उर्फ जीतराम पुत्र ऐमाराम जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. रोशनी पत्नी धर्मपाल पुत्री रणजीत उर्फ जीतराम जाति जाट साकिन सुभानवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. विरमा पत्नी ओमप्रकाश पुत्री रणजीत उर्फ जीतराम जाति जाट साकिन 22 एम. एल. गणेशगढ़ तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. सीमा पत्नी सतपाल पुत्री रणजीत उर्फ जीतराम जाति जाट साकिन ठाकरूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. राधा पत्नी रणवीर पुत्री रणजीत उर्फ जीतराम जाति जाट साकिन पन्नीवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. कौशल्या पुत्री रणजीत उर्फ जीतराम जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़
7. उदराम
8. गोपीराम | पिसरान ऐमाराम कौम जाट साकिनान
9. दौलतराम | पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ ।
10. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला शाखा पीलीबंगा जरिये शाखा प्रबन्धक ।
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा ।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत खाता विभाजन एवं घोषणा

डिक्री

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested

वादी की ओर से श्री मदन लाल पारीक [illegible] 33 की ओर से श्री संदीप सैन अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद में आज [illegible] को **उमा मित्तल** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे [illegible] पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री **की जाती है कि,** उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी **अधिनियम की धारा 53, 88 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार** घोषणा की जाती है–

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

क. वादी इन्द्रसैन को प्राप्त कृषि भूमि—चक 1 पीडब्ल्यूएम के प.न. 87/338 (22) के किला न. 5 ता 25 की कुल 5.213 हैक. कृषि भूमि जो प्रतिवादी स.1 के नाम सयुक्त खाता में 1/4 हिस्सा दर्ज है मे से प्रतिवादी स. 1 का 1.303 हैक. का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी स. 1 द्वितीय पक्ष का नाम कलमजन किया जावे व इसी चक के प.नं. 87/337 (17) के किला नं. 21/0.228 हैक., प.नं. 87/338 (22) व किला नं. 1 ता 4 की 0.987 हैक., प.नं. 86/338 (23) के किला नं. 3 ता 8 की 3.289 हैक. कुल 4.504 हैक. अ.क. कमाण्ड में 1/2 हिस्सा यानि 2.252 हैक. कृषि भूमि में से 0.253 हैक. हिस्सा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है प्रतिवादी स. 1 का कलमजन कर जावे व शेष हिस्सा 1.999 हैक. प्रतिवादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 6 कौशल्या को बहिब खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

ख. प्रतिवादी स. 2 ता 5 को प्राप्त कृषि भूमि—तहसील पीलीबंगा के चक 1 पीडब्ल्यूएम के प.न. 84/336 (9) के किला न. 2 ता 9, 11 ता 24 की कुल 5.213 हैक. कमाण्ड अनकमाण्ड कृषि भूमि व तहसील पीलीबंगा के चक 6 एआरडब्ल्यु के प.न. 84/335 (37) के किला न 16 ता 19 की 1.012 हैक. इस प्रकार दोनो चको की कुल 6.225 हैक. कृषि भूमि प्रतिवादी स. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स. 1 द्वारा पूर्व में ही प्रतिवादी स. 2 ता 5 के पक्ष में दिनांक 31.01.2014 को दान पत्र निष्पादित व पंजीबद्ध करवा दिये गये थे लेकिन प्रश्नगत कृषि भूमि के सम्बंध में स्थगन आदेश होने के कारण प्रतिवादी स.2 ता 5 को जरिये दान पत्र दी गई कृषि भूमि का नामान्तरण उनके पक्ष में नही हुआ था, इस कारण मुताबिक राजीनामा अनुसार व दान पत्र में वर्णितानुसार उक्त कृषि भूमि में प्रतिवादी स. 1 का नाम कलमजन कर प्रतिवादी स. 2 ता 5/द्वितीय पक्ष के नाम मुताबिक दान पत्र अनुसार प्रतिवादी स. 2 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

Signature Not Verified

खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 26/09/2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.10.06 16:38:00 IST
Reason: SelfAttested

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा